संख्या-30/2020/781/86-2020-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 23 मई 2020

विषयः प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र पर व्यवस्थित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खनन नीति-2017 और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्राविधान के अनुसार वर्तमान में नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हों, को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से दीर्घकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत परिहार पर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है। अवगत कराना है कि वर्ष 2017 से ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टों की देय किश्तोंय का भुगतान न करने से निष्क्रिय खनन क्षेत्रों के खनन पट्टे निरस्तीकरण के कारण रिक्त हो जाते हैं, जिनके लिए निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर ऐसे खनन क्षेत्र भी उपलब्ध रहते हैं जिनका दीर्घकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत 05 वर्ष की अवधि हेतु व्यवस्थापन सम्भव नहीं हो पाता है।

2. वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के कारण खनन उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। जनसामान्य एवं विकास कार्यो हेतु खनिज की आपूर्ति समुचित दर पर सुनिश्चित करने, खनन उद्योगों को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर में वृद्धि करने हेतु खनन क्षेत्रों पर तत्काल खनन संक्रिया प्रारम्भ कर अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। अधिसूचना सं0-746/86-2020-14(सा)/2020 दिनांक 22.05.2020 द्वारा नियम-23(2)(क) में संशोधन सम्बन्धी उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) (पचासवाँ संशोधन) नियमावली-2020 प्रख्यापित की गयी है। उक्त संशोधन सहित नियम-23(2)(क) निम्नवत् उद्धृत है:-

23. ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा-सह-ई-नीलामी पट्टा हेतु क्षेत्र की घोषणा

(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेटस के साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती है -

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये -

(क) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्टे, एक बार में नियत पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई-निविदा या ई-नीलामी या ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारणवश क्षेत्रों का दीर्घकालीन अवधि के लिए व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो वहां अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से क्षेत्रों को व्यवस्थित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र जिसकी अधिकतम् अवधि 06 माह होगी को ई निविदा/ ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में अनुज्ञा धारक देय समस्त धनराशि का अग्रिम रूप से संदाय करेगा।

3. दीर्घकालीन अवधि के लिए स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के निष्क्रिय होने के फलस्वरूप उनके निरस्तीकरण से उपलब्ध क्षेत्र तथा ऐसे खनन क्षेत्र जिनका व्यवस्थापन ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के आधार पर दीर्घकालीन अवधि के लिए सम्भव नहीं हो पाता है, उन्हेंई अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र के माध्यम से अधिकतम् 06 माह की अवधि हेतु ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार रिक्त खनन क्षेत्रों को अल्पकालीन अवधि के लिए ई-निविदा के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार खनन अनुज्ञा पर स्वीकृत किया जायेगा:-

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम् 06 माह के लिए होगी।

2. विज्ञापित किये जाने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित मात्रा के आधार पर क्षेत्र में खनन योग्य भण्डार का निर्धारण होगा एवं जिस क्षेत्र हेतु पर्यावरण अनापत्ति नहीं है, वहां जिलाधिकारी द्वारा बिन्दु-10 के अनुसार गठित समिति, जिसमें जनपद में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, सदस्य/संयोजक होंगे, के द्वारा आंकलन किया जायेगा।

3. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।

4. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित वार्षिक खनिज की मात्रा को 12 से भाग कर प्राप्त मात्रा को अनुज्ञा पत्र की अवधि (माह की संख्या) से गुणा कर अनुज्ञा अवधि हेतु मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।

5. निर्धारित/आंकलित मात्रा को उक्त नियमावली-1963 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर ई-निविदा हेतु क्षेत्र का आधार मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

6. किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

7. उपखनिज के उपलब्ध/रिक्त क्षेत्र, जिन पर वन अनापत्ति प्राप्त कर पर्यावरण अनापत्ति निर्गत है, के सम्बन्ध में पुनः वन अनापत्ति प्राप्त किये जाने की आवश्याकता नहीं है। जिन क्षेत्रों पर वन अनापत्ति प्राप्त नहीं है, उन क्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा विज्ञापित किये जाने से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्येक होगा। वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त क्षेत्रों के निर्धारित खण्डों को ई-निविदा प्रणाली से खनन अनुज्ञा पर देने के लिये संलग्न प्रारूप-1 में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिलाधिकारी या गठित समिति ई-निविदाओं के प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक से कम से कम 07 कार्य दिवस पूर्व किसी ऐसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में, जिनका उस जिले में व्यापक परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र स्थित हो, सूचना प्रकाशित कराकर ई-निविदा आमंत्रित करेगें तथा उसे ई-निविदा पोर्टल “etenders.up.nic.in” पर अपलोड भी कराया जायेगा।

सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी तथा जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट सहित उस क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थान पर चस्पा की जायेगी। विज्ञप्ति के अनुसार ई-निविदा 05 कार्य दिवसों में प्राप्त की जायेगी।

8. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वास्तन हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः-

(क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी(आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से नि:शुल्का प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन से नि:शुल्की प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

10. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा कार्यवाही को संचालित करने के लिए निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगाः-

क. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर जिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो,	अध्यक्ष
ख. जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तरीय अधिकारी,	सदस्य
ग. जनपद में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी /खान निरीक्षक,	सदस्य/सचिव

11. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

प्रारूप-2 की सूचनायें:-

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0 नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/- का चालान संख्या व दिनांक।

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

छ. पैन कार्ड का क्रमांक।

ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद, जहां से जारी किया गया हो।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्रः-

क.ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0-2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग. पैन कार्ड।

घ.जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/ परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यरक होगा।

12. विज्ञप्ति के अनुसार पांच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

13. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-11 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

14. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि(निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्यदिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

15. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

16. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

17. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

18. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, उनके सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

19. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पोश्चात् बिन्दु सं0-04 के अनुसार उपखनिज की मात्रा हेतु संलग्न प्रारूप-3 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

20. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

21. अनुज्ञा पत्र धारक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धोंध के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।

22. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्याकतानुसार किया जा सकेगा।

23. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

4. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नदी तल स्थित उपखनिजों के निष्क्रिय खनन पट्टों को निरस्त कर तथा पूर्व में निरस्त किये गये खनन पट्टों, से उत्पन्न रिक्त क्षेत्रों को उपखनिज की उपलब्धता के दृष्टिगत अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत, अनुज्ञा पत्र पर अधिकतम् 06 माह की अवधि हेतु ई-निविदा के माध्यम से, उपरोक्तानुसार स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

डा0 रोशन जैकब
सचिव,

संख्याः781(1)/86-2020, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0 प्र0।
6. प्रबन्धनिदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0, लखनऊ)।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि जनपदों में ई-निविदा हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हृदय नारायण सिंह यादव
अनु सचिव

tt/saaehpncl

प्रारूप–1

<u>कार्यालय जिलाधिकारी.........................।</u>
(खनन अनुभाग)
<u>ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद...................में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/ मोरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–................................ ....दिनांक–..............................में दिये गये निर्देशानुसार .... माह (अधिकतम 06 माह) की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक–............के ....बजे (05 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

<u>क्षेत्र का विवरण :–</u>

क0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमाये	जियो–कोआर्डीनेट्स	उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/ आंकलित उपखनिज की मात्रा (घन मी0 में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर x निर्धारित/ आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
					उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	A B C D				

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम् 06 माह के लिए होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुॅच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–
   (क) ई–निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
   (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी(आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etenders.up.nic.in

के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करते समय **etenders.up.nic.in** पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

प्रारूप –2 की सूचनायें :–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0 नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/– का चालान संख्या व दिनांक।

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का कमांक।

छ. पैन कार्ड का कमांक।

ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का **DIN** संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :–

क. ई–निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु रू0–2,000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र

ग. पैन कार्ड।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/ परिहारधारक न रहा हो, वहॉ इस आशय का शपथ पत्र।

ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का **DIN** आवश्यक होगा।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पॉच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति

निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि(निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्यदिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
12. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नही है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा–पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।
14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
15. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।
17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. अन्य नियम एवं शर्तें:– जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(जिलाधिकारी)
जिले का नाम

पत्र संख्या– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय (संबंधित जिले का नाम), भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।

(जिलाधिकारी)
जिले का नाम

प्रारूप–2

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कंटिग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई–मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम– ड़. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या– च. क्षेत्रफल(एकड़ में)–	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि ––––– बैंक का नाम व शाखा ––––– ड्राफ्ट का नम्बर –––––

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

खनन अनुज्ञा पत्र

नदी तल में उपलब्ध उपखनिज बालू/ मोरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–........ ....दिनांक–..............................में दिये गये निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 23(2)(क) के अन्तर्गत .... माह (अधिकतम 06 माह) की अल्प अवधि के लिये खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति सं0–....... .... दिनांक .... द्वारा ई निविदा आमंत्रित की गयी थी। ई–निविदा में प्राप्त सर्वोच्च दर के अनुसार निविदादाता द्वारा देय धनराशि का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। अतः एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री.................................. को निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार खनन/परिवहन हेतु खनन अनुज्ञा दी जाती है :–

खनन अनुज्ञा का विवरण

क्षेत्र का विवरण तहसील/ग्राम/गाटा सं0/खण्ड सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	उपखनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा	अनुज्ञा पत्र की की अवधि	
				कब से	कब तक

स्थानः

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :–

1. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
2. खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्रों में दी गयी शर्तो के अधीन सम्पादित की जायेंगी।
3. अनुज्ञा–पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निशिचित करेगा।
4. अनुज्ञा–पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
5. अनुज्ञा–पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
6. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
7. अन्य नियम एवं शर्तेः–जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।